बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक :— वि०प्रा० (VI) विविध—02/23— 1120 /पटना, दिनांक :— 15-03-2024

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०
सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय,
बिहार।

—————————————————————

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान,
बिहार।

विषय :— राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान में अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कक्षा में उपस्थिति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान में अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् द्वारा छात्र—छात्राओं की उपस्थिति के संदर्भ में दिशा—निर्देश निर्गत किया गया है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा उपस्थिति में चिकित्सीय आधार पर 15 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् द्वारा भी निर्देश निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में कहना है कि किसी भी परिस्थिति में उपरोक्त दिशा—निर्देश की अवहेलना नहीं की जानी है। जिन संस्थानों में उपरोक्त दिशा—निर्देश की अवहेलना की जायेगी, उन संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संस्थान में अधिक संख्या में छात्र—छात्राएँ 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं तो उस परिस्थिति में अतिरिक्त वर्गकक्ष का संचालन कर, दिन में दो पाली में कक्षा का संचालन कर, अवकाश के दिनों में कक्षाओं का

संचालन कर, आवश्यक होने पर संध्याकालीन कक्षा का संचालन कर छात्र–छात्राओं को 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का अवसर देने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। परंतु उपरोक्त के बावजूद जो छात्र–छात्राएँ बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् द्वारा निर्धारित उपस्थिति से संबंधित प्रतिशत का अनुपालन नहीं कर पाते हों, उन्हें किसी भी परिस्थिति में सेमेस्टर परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त दिशा–निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन किया जाए।

विश्वासभाजन

15/3/2024

(लोकेश कुमार सिंह)

ज्ञापांक :– वि०प्रा० (VI) विविध–02/23– 1120 /पटना, दिनांक :– 15/3/24

प्रतिलिपि :– कुलपति, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कुलसचिव, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परीक्षा नियंत्रक, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परीक्षा नियंत्रक, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)

15/3/2024